NTC

संख्या-2064 /XVIII-(2)/18-04(33)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 30 जुलाई, 2018

विषयः– श्री केदारनाथ धाम में मन्दाकिनी नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्यो के पुनर्निमाण की योजना के सम्बन्ध में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1415/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/P–27(SPA-R) दिनांक 17.04.2018 एवं सिंचाई विभाग की पत्रावली संख्या–II(2)-03(11)/2017 से प्राप्त प्रस्ताव का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से सिंचाई विभाग द्वारा श्री केदारनाथ धाम में मन्दाकिनी नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्यो के पुनर्निर्माण की योजना टी0ए0सी0 वित्त द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 5676.55 लाख के सापेक्ष रू0 5041.98 लाख की धनराशि एस0पी0ए0–आर0 की बचतों से स्वीकृति एवं धनावंटन का अनुरोध किया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार उक्त श्री केदारनाथ धाम में मन्दाकिनी नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्यो के पुनर्निर्माण की योजना टी0ए0सी0 वित्त द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 5676.55 लाख के सापेक्ष रू0 5041.98 लाख की एकमुश्त धनराशि एस0पी0ए0–आर0 की बचतों से आवंटित कर आहरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–476/II–(2)–2018 –03(11)/2017, दिनांक 9.03.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त परियोजना हेतु धनराशि रू0 5041.98 लाख अतिरिक्त रूप में आवंटित की जायेगी तथा इसमें सिंचाई विभाग को मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि रू0 500.00 लाख का समायोजन नहीं किया जायेगा एवं परियोजना की अवशेष लागत राज्य सेक्टर से सिंचाई विभाग द्वारा वहन की जायेगी।

3– प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में गठित विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.11.2017 एवं मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित वित्त व्यय समिति(ई0एफ0सी0) की बैठक दिनांक 15.11.2017 एवं 16.11.2017 में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा सी0एस0एस0/केन्द्र पोषित सड़क एवं सेतुओं के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5– परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा सी0एस0एस0/केन्द्र पोषित सड़क एवं सेतुओं के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

6– उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं परियोजनाओं पर किया जायेगा, जो हाई पावर कमेटी द्वारा स्वीकृत हैं तथा जिन पर धनराशि व्यय किये जाने की समस्त प्रकार की औपचारिकताऐं पूर्ण की जा चुकी हैं और जो परियोजनायें मानकों के अनुरूप हों। किसी भी ऐसी

परियोजना पर धनराशि व्यय नहीं की जायेगी जो हाई पावर कमेटी द्वारा स्वीकृत नहीं है तथा ऐसी परियोजनाओं के सापेक्ष किसी भी धनराशि का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।

7– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं परियोजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति की जा रही है तथा जिन परियोजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित जिलाधिकारी/विभागध्यक्ष, सिंचाई विभाग व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

9– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

10–यह धनराशि आपदा 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यों के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उत्तरदायी होंगे।

11–जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

12–सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग/आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

13–कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग/जिलाधिकारी/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14–कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

15–त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

16–विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17–धनराशि का आहरण सी.सी.एल. हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

18–आंगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

19–कार्यों हेतु सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय किया जायेगा। बिना प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने पर अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

20–यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु सिंचाई विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस परियोजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही परियोजना किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

21–एस0पी0ए0–आर0 योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि तथा राज्य सरकार से अवमुक्त धनराशि का मिलान विभाग तथा शासन स्तर पर कर लिया जायेगा तथा

भारत सरकार से एस0पी0ए0–आर0 के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि का व्यय योजनाओं में नहीं किया जायेगा।

22–स्वीकृत की जा रही धनराशि के लेखों का रख–रखाव एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत वित्तीय नियमों/दिशा निर्देशों तथा अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा योजनाओं के कियान्वयन, लेखांकन एवं लेखा परीक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय––01–08–एस.पी.ए./ए.सी.ए.(आपदा 2013) के अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3/(150)/XXVII(1)/2018,दिनांक 02, अप्रैल, 2018 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या-2064 (1)/XVIII-(2)/2018-04 (33)/2016तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, कौलागढ़,, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. जिलाधिकारी, रूदप्रयाग।
9. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
11. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सविन बंसल)
अपर सचिव